न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय धमूकड)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
15/20	27.10.20	30.11.21

उनवान

1. मम्मल खां पुत्र श्री सरदार खां जाति मेव निवासी ग्राम कुटियापुर तहसील किशनगढबास ,जिला अलवर राजस्थान।

:–प्रार्थी:–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब(लैण्ड होल्डर) किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर प्रान्त राजस्थान। :–अप्रार्थी:–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0टी0एक्ट.

:–निर्णय:–

आज पत्रावली प्रशासन गांवो के सग अभियान ग्राम पंचायत कैम्प में पेश हुई प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:– आराजी ख0न0 225 रकबा 0.4000 हे0, 226 रकबा 0. 5100 हे0 227 रकबा 0.4200 हे0 कुल किता 1.3300 हे0 में 4/45 हिस्सा वाके ग्राम कुटियापुर तहसील किशनगढबास का मुताबिक रिकार्ड काबिज काश्तकार है। सबूत मे नकल जमाबदी सं0 2076–2079 संलग्न है। भूमि निर्विवाद है वादी अपने हिस्से पर खुद काबिज है। राजस्व रिकार्ड ग्राम कुटियापुर दर्ज उक्त खसरा नम्बरो में प्रार्थी का नाम मम्मन खा पुत्र सरदार खां जाति मेव निवासी कुटियापुर तह0 किशनगढबास 1/12 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिस पर भी पार्थी स्वयं काबिज है । भूमि निर्विवाद है। जबकि प्रार्थी का सही व शुद्व नाम मम्मलखां पुत्र सरदार खां जाति मेव निवासी ग्राम कुटियापुर तहसील किशनगढबास है। प्रार्थी के आधार कार्ड , राशनकार्ड व भामाशाह कार्ड में सही नाम मम्मल खां दर्ज है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।पक्षकारान हदूद अदालत श्रीमान के वाशिन्दा है तथा मुतनाजा भूमि भी सही पर स्थित है इसलिये प्रार्थना पत्र श्रवण योग्य अदालत श्रीमान है। अतः प्रार्थना है कि राजस्व ग्राम कुटियापुर के राजस्व रिकार्ड में हाल ख0न0 225,226,227 में प्रार्थी के नाम मम्मनखां के स्थान पर सही व शुद्व नाम मम्मल खां दर्ज किये जाने के आज्ञा प्रदान की जावे।

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी का जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए जवाब प्रस्तुत किया। आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान मे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं मजेआम से पूछताछ की गई जिसमें प्रार्थी का नाम मम्मल खां बताया तथा संरपंच ग्राम पंचायत धमूकड ने भी प्रार्थी की पहचान की। मम्मन एव मम्मल खां ये दोनो नाम एक ही है।अतः प्रार्थी का नाम सही किया जाना न्यायोचित एंव न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

अतः प्रार्थी का प्रार्थनाा पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कुटियापुर के राजस्व रिकार्ड में हाल ख0न0 225, 226, 227 में प्रार्थी के नाम मम्मनखां के स्थान पर सही व शुद्ध नाम मम्मल खा उर्फ मम्मन खा दर्ज किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो । तहसीलदार किशनगढबास को वास्ते पालनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार रहे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner